

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-16/2013- 94 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

विषय: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन श्री विधि से धान की खेती तथा संकर धान प्रभेद की खेती के प्रोत्साहन की योजना का वर्ष 2013-14 में 260.00 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 41.60 करोड़ रुपये (इकतालीस करोड़ साठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन उक्त कार्यक्रम के लिए व्यय करने की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष राशि व्यय हेतु कुल ₹7,84,60,160 (सात करोड़ चौरासी लाख साठ हजार एक सौ साठ रू०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-2353, दिनांक-30.04.2013 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन श्री विधि से धान की खेती तथा संकर धान प्रभेद की खेती के प्रोत्साहन की योजना का वर्ष 2013-14 में 260.00 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 41.60 करोड़ रुपये (इकतालीस करोड़ साठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन उक्त कार्यक्रम के लिए व्यय करने की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-3 (आवंटन) दिनांक-03.05.2013 द्वारा ₹33,75,39,840 की राशि आवंटित की जा चुकी है। शेष राशि व्यय हेतु कुल ₹7,84,60,160 (सात करोड़ चौरासी लाख साठ हजार एक सौ साठ रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त शेष राशि व्यय हेतु कुल ₹7,84,60,160 (सात करोड़ चौरासी लाख साठ हजार एक सौ साठ रू०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR/5031 विपत्र कोड-P2401007890103, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित 102.2848 करोड़ रू० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक

94 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

१४ (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक ०६-०८-२०१३

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव कृषि के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, (पी०पी०एम०),/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, उद्यान, बिहार पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सूचना

(15)/06/8/13

सरकार के संयुक्त सचिव।